न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
परिवाद संख्या–1615/2022
CNRNo.UPBR-01-005772-2022
श्रीमती कमलेश बनाम सत्यवीर सिंह एवं अन्य

थाना–शेरगढ़, जिला–बरेली

26.04.2024

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्त को विपक्षीगण को तलब किये जाने के बिन्दु पर दिनांक 12.04.2024 को सुना जा चुका है।

उपरोक्त परिवाद मूल रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 24.05.2022 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र/परिवाद परिवादिनी श्रीमती कमलेश ने विपक्षीगण सत्यवीर सिंह, यशवीर सिंह, करन सिंह, प्रवेश बाबू, ओमेन्द्र कुमार व एक सिपाही अन्य सूरज शिनाख्त नाम पता अज्ञात के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया है कि परिवादिनी ग्राम कंचनपुर थाना शेरगढ जिला बरेली की निवासी है तथा अनुसूचित जाति जाटव है। विपक्षीगण 1 लगायत 3 आवेदिका के गांव के ही निवासी है, जाट बिरादरी के है जो स्वर्णजाति के अन्तर्गत आते है। विपक्षी सं0–4 हल्का लेखपाल है तथा विपक्षीगण सं0–5 व 6 पुलिस में सिपाही है जो थाना शेरगढ़ में तैनात है। परिवादिनी के ससुर चम्पत लाल पुत्र चेतराम की गांव में करीब 05 बीघा आराजी काश्त है जिस पर परिवादिनी के ससुर का कब्जा है, खेत में परिवादिनी के ससुर ने गन्ना व धान की फसल बोई थी। दिनांक 03.09.2021 को परिवादिनी के ससुर चम्पतलाल परिवादिनी के देवर लाल सिंह को साथ लेकर दवा दिलाने कस्बा शेरगढ़ गये थे व परिवादिनी के पति राम सिंह मजदूरी करने कस्बा बहेड़ी गये हुए थे, घर पर परिवार का कोई पुरूष सदस्य मौजूद नहीं था कि समय करीब 2.30 बजे दिन विपक्षीगण सं0–1 लगायत–06 परिवादिनी के ससुर के खेत पर पहुॅचे तथा खेत की नाम तोल शुरू कर दी। परिवादिनी को पता चलने पर वह अपने पड़ोसी श्रीमती संगम कुमारी पत्नी कुलदीप सिंह, श्रीमती सुनीता पत्नी वीरेन्द्र सिंह, रामवती पत्नी शिशुपाल व नत्थू, रोहित कुमार बगैरा को साथ लेकर खेत पर पहुॅची तथा विपक्षीगण से कहा कि आप बिना किसी आदेश तथा बिना कोई पूर्व सूचना के मेड कैसे डलवा रहे है, इस पर विपक्षीगण ने उसके के ससुर के खेत में जबरना मेड डाल दी व सभी ने मॉ बहन की बुरी–बुरी गालियां दी तथा कहा कि साले चमट्टे यहॉ से भाग जाओ वरना जान से मार देंगे तथा विपक्षी सत्यवीर सिंह ने अपना रिवाल्वर निकालकर धमकाया कि कोई भी आगे बढ़ा तो गोलियों से भून डालूॅगा। विपक्षीगण ने परिवादिनी की गन्ना व धान की फसल कसी व फावड़ा से खोद कर बर्बाद कर दी तथा खेत में जबरन मेड डाल दी। विपक्षीगण के आतंक तथा पुलिस के डर के कारण परिवादिनी व गवाहान कुछ न कर सके, तभी परिवादिनी की तरफ से विपक्षीगण द्वारा कारित घटना की मोबाइल से वीडियो फिल्म बनाना शुरू की तभी विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। विपक्षीगण ने करीब 10,000/–रूपये कीमती की फसल का नुकसान कर दिया है। शाम को परिवादिनी के पति व ससुर घर आये तब परिवादिनी व गवाहान ने सारी बात बतायी और उसी दिन ससुर के साथ थाने जाकर तहरीर दी, परन्तु पुलिस ने रपट नहीं लिखी तब परिवादिनी ने अगले दिन अपने ससुर को साथ ले जाकर सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी बहेडी को प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 04.09.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली व जिलाधिकारी बरेली तथा मुख्य मंत्री उ0प्र0 सरकार लखनऊ व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री द्वारा भेजे फिर भी पुलिस ने परिवादिनी की रपट नहीं लिखी गयी।

परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जांच के अधीन पी0डब्लू0–1 नत्थूलाल, पी0डब्लू0–2 संगम कुमारी व पी0डब्लू0–3 श्रीमती पुष्पा को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में परिवादिनी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील बहेडी जिला बरेली में दिनांक 04.09.2021 को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति मय रसीद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.09.2021 की छाया प्रति, डाक रसीदों की छाया प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा उद्धरण खतौनी की छाया प्रतियां व मानचित्र प्रस्तुत किया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में परिवाद के कथनों का समर्थन हुए कथन किया है कि घटना लगभग 01 साल पहले की है। समय 2.30 बजे दिन का था। सत्यवीर सिंह, यशवीर सिंह, करन सिंह, प्रवेश बाबू, ओमेन्द्र कुमार सिपाही तथा एक सिपाही नाम नहीं जानती आये हमारे खेत पर और नाप तौल कर रहे थे। मुझे जानकारी हुई तो खेत पर मैं, सुनीता, संगम कुमारी, रिंकी, नत्थूलाल, रामवती व पुष्पा गये। धान में मेड डाल रहे थे हमने मना किया तो सत्यवीर सिंह रिवाल्वर निकाल लिये और सारे लोग बोले कि साली चमरिया यहॉ से भाग जाओ, मुझे धक्का दिये, जबरिया धान की फसल में मेड डाल दिये, बोले कि यहॉ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। मैं जाटव जाति की हूॅ। विपक्षी सवर्ण जाति के है। परिवादिनी के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 नत्थूलाल, पी0डब्लू0–2 संगम कुमारी व पी0डब्लू0–3 श्रीमती पुष्पा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 सत्यवीर सिंह, यशवीर सिंह व करन सिंह के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध धारा 352, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) द, ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षीगण संख्या–1 ता 3 सत्यवीर सिंह, यशवीर सिंह व करन सिंह उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है। इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.07.2023 के अनुपालन में थानाध्यक्ष शेरगढ जनपद बरेली द्वारा प्रकरण की धारा 202(1) दं0प्र0सं0 के तहत जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी है कि आवेदिका व विपक्षी सत्यवीर सिंह में खेत पर अपना–अपना कब्जा बताकर विवाद था, जिसमें हल्का लेखपाल प्रवेश बाबू व पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त जमीन की नाम तोल करते समय आवेदिका द्वारा राजस्व टीम के कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी, जिस कारण हल्का लेखपाल द्वारा आवेदिका के पति आदि पर विधिक कार्यवाही की गयी। विपक्षी सं0–4 प्रवेश बाबू हल्का लेखपाल है तथा विपक्षी सं0–5 ओमेन्द्र कुमार पुलिस कांस्टेबल है तथा सरकारी कर्मचारी है, उनके विरूद्ध अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति परिवादिनी द्वारा नहीं ली गयी है दं0प्र0सं0 की धारा 197 में लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति जरूरी है, यदि कथित अपराध आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है। अतएव विपक्षीगण सं0–4 प्रवेश बाबू हल्का लेखपाल व विपक्षी सं0–5 ओमेन्द्र कुमार पुलिस कांस्टेबल को तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण **सत्यवीर सिंह**, **यशवीर सिंह** व **करन सिंह** को धारा **352**, **504, 506, 427** भा0दं0सं0 व धारा **3(1) द, ध** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अंदर 7 दिन करे तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करे। बाद प्रस्तुत होने सूची गवाहान अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक **30.05.2024** को पेश हो।

(अंगद प्रसाद II)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली
जे0ओ0कोड यू0पी0–5941

Digitally signed by Angad Prasad II
Date: 2024.04.27 14:24:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court